न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर

पीठासीन अधिकारी : शकुन्तला, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 17/2024
जी.सी.एम.एस. नं.: 2024/202

1. नरवेर सिंह पुत्र हरबंश सिंह निवासी 20 एच.एम.एच.(रामसरा नारायण) तहसील व जिला हनुमानगढ़ हाल 8 जी.एम. तहसील श्री विजयनगर जिला अनूपगढ़

– प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर

–अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थिति :–

1. **श्री प्रेम सिंह सैनी, श्री बक्शीश सिंह थिन्द, अधिवक्ता प्रार्थी**
2. **राजपैरोकार**

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 30.04.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि :–

1. प्रार्थी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी भूमि चक चक 8 जीएम खाता सं. 27 के प.नं. 163/29 मु.नं. 32 कि.नं. 11/2, 12/1, 13/2, 4/1, 15/2, 16 ता 25 की कुल 3.163है. अनकमाण्ड खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु चक 8 जीएम के खाता सं. 1 के पनं. 163/21 मु.नं. 33 कि.नं. 21 ता 25 आराजीराज भूमि में से दो दो बिस्वा पत्थर लाईन के साथ साथ गैर मु. रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। तहसीलदार श्रीविजयनगर से मौका जांच रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार श्रीविजयनगर के पत्रांक/भू.अ./2025/1526 दिनांक 28.04.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। मुताबिक रिपोर्ट चाहे गये रास्ते की परम आवश्यक्ता है। वैकल्पिक स्वीकृत रास्ते का अभाव है। चाहे गये रास्ते का उपभोग कर प्रार्थी अपने खेत तक पंहुचता है। केवल मात्र यही रास्ता निकटतम/लघूतम रास्ता है। सम्पूर्ण रास्ता रकबा राज भूमि में से गुजरता है।
3. बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। वकील प्रार्थी अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी को अपनी भूमि में पंहुच के प्रयोजनार्थ कोई स्वीकृतशुदा मार्ग नहीं है चाहा गया रास्ता ही प्रार्थी अपनी भूमि में आवागमन हेतु प्रयुक्त करता है। प्रार्थी रास्ता की एवज में जो भी राशि [illegible] जमा करवाने हेतु तैयार है। प्रार्थना पत्र स्वीकार [illegible] करने के लिए निवेदन किया। प्रार्थी [illegible] अवलोकन किया। प्रार्थी बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया [illegible] हेतु निवेदन किया गया हैं द्वारा रकबा राज भूमि में से रास्ता स्वीकृत [illegible] मार्ग का अभाव है तथा [illegible] रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार प्रार्थी को वैकल्पिक [illegible] की परम आवश्यक्ता है। वांछित मार्ग ही निकटतम मार्ग है। राजस्व(ग्रुप-6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक/प.03(52)राज–6/12/4 दिनांक 14.06.2013 के अनुसरण में डीएलसी दर की दो गुणा राशि प्रतिकर के बदले राजकीय भूमि में से रास्ता प्रदत्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत है।

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:34:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

–: आदेश :–

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज.काश्त.अधि. स्वीकार किया जाता है तथा चक 8 जीएम के खाता सं. 1 के में दर्ज प.नं. 163/21 मु.नं. 33 कि.नं. 21 ता 25 आराजीराज भूमि में से प्रत्येक बीघा में दो दो बिस्वा पत्थर लाईन के साथ साथ गै.मु. रास्ता स्वीकृत किया जाता है। प्रार्थी रास्ते में आई भूमि की एवज में रास्ते में आई भूमि की डीएलसी दर की दो गुणा राशि अदा करेगा। तहसीलदार श्रीविजयनगर प्रतिकर की गणना कर प्रार्थी से नियमानुसार राशि प्राप्त कर राजकोष में जमा करें तथा स्वीकृतशुदा गै.मु. रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 30.04.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

शकुन्तला
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:34:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner